न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 353/2022

अनवान मुकदमा –

1. पृथ्वीराम पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रणजीत पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. विमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. चन्द्रकला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुलतान पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. भंवरलाल पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. दलीप कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रकाश पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. महावीर प्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 [illegible] घोषणा एवं विभाजन :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता ––– वादीगण
2. श्री संदीप सैन अधिवक्ता ––– प्रतिवादी संख्या 6
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ––– प्रतिवादी सं. 7

29.06.2022
सहायक कलक्टर एवं

–:: निर्णय :–

दिनांक – 24/6/22

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।

रेड़ा वगैरा रोही बड़ोपल के खसरा नं. 1179 में 10 बीघा व खसरा नं. 1180 में 56.11 बीघा कुल 66.71 बीघा भूमि मे खेताराम व इनके फौत होने पर इनके 6 पुत्रो जगमाल, गणपत, मंगलाराम, तेजाराम, जयमल, रजीराम पुत्र खेताराम का 38.11 बीघा यानी 771 हिस्सा था। प्रत्येक का 6.08 बीघा का हक हिस्सा था। दौराने चकबंदी मुरबाबंदी में यह भूमि चक 13 एसपीडी व 15 एसपीडी में पैमुद हुई। वर्तमान में यह समस्त भूमि चक 13 एसपीडी–बी में पैमुद है।

वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज भूमि में से जगमाल पुत्र खेताराम ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में से चक 13 एसपीडी के प.नं. 166/60 की किला नं. 9 ता 12, 19, 20 की 6 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 04.04.1966 को वादी सं. 1 पृथ्वीराम को बेचान कर दिया था। उक्त भूमि में से जगमाल, गणपत पुत्र खेताराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 1 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 29.07.1970 को वादी सं.1 को बेचान कर चक 13 एसपीडी के प.नं. 166/60 के किला नं. 1 की भूमि का कब्जा वादी सं.1 पृथ्वीराम को सौंप दिया। मुताबिक बैयनामा राजस्व अभिलेख में अकंन हो चुका था। वादी सं.1 चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 166/60 के किला नं. 1, 9 ता 12, 19, 20 की 7 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है।

वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में से मंगलाराम – तेजाराम – जयमल व रजीराम पुत्र खेताराम ने तत्समय चक 13 एसपीडी व 15 एसपीडी वर्तमान चक 13 एसपीडी–बी की भूमि में से अपने हक हिस्सा की 25.14 बीघा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 22.08.1968 को करनैल सिंह पुत्र सुच्चा सिंह 1/2 हिस्सा, गुरदयाल सिंह पुत्र ईशर सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र बन्ता सिंह 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. बेचान कर दिया थ। इन तीनो ने यह 25.14 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 07.08.1972 को 8.12 बीघा यानी 172 हिस्सा का बेचान वादी सं.8 भंवरलाल को व 8.11 बीघा यानी 171 हिस्सा का बेचान वादी सं.6 सुलतान को व 8.11 बीघा यानी 171 हिस्सा का बेचान वादी सं.7 इन्द्राज को कर दिया था। जिसका राजस्व अभिलेख में मुताबिक बैयनामा वादी सं. 6 ता 8 के नाम हिस्सा दर्ज हो चुका था। इस प्रकार वादी सं. 6 ता 8 का कुल 514 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख था। अपने इस 514 हिस्सा में से 1 बीघा भूमि वादी सं. 6 ता 8 ने जरिये दान पत्र दिनांक 10.04.2012 को वादी सं. 2 ता 5 के पिता रामप्रताप पुत्र सुखराम को दे दी है। इसलिये वादी सं. 6 ता 8 को 24.14 बीघा का हिस्सा रहा है जो यह चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 166/52 की 24.10 बीघा भूमि काश्त कर रहे है।

गणपत पुत्र खेताराम ने अपने हिस्सा की भूमि में से 6 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 06.05.1974 को रामप्रताप – हनुमान पुत्र सुखराम को बेचान कर दिया था। जिसका राजस्व अभिलेख में अकंन हो चुका था। दोनों भाईयो ने घरू बंटवारा कर लिया जिसमें हनुमान के नाम दर्ज उक्त 3 बीघा भूमि रामप्रताप को जरिये कृषि भूमि विनिमय आदेश दिनांक 11.04.2012 को प्राप्त हुई। इस प्रकार रामप्रताप के नाम 120 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। वादी सं. 6 ता 8 ने अपने हिस्सा की भूमि में से 1 बीघा भूमि जरिये दान पत्र रामप्रताप पुत्र सुखराम को दी थी। इस प्रकार प्रशनगत भूमि में रामप्रताप 7 बीघा भूमि का हकदार हुआ। उनके कब्जा काश्त में चक 13 एसपीडी–बी के प.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं

166/44 के किला नं. 6, 13, 14 ता 18 की 7 बीघा भूमि थी जो उनके फौत होने के बाद यह भूमि उनके वारीस वादी सं. 2 ता 5 के कब्जा काश्त में हुई और सयुक्त खाता में इनके नाम दर्ज है।

उक्त भूमि कुल 66.11 बीघा भूमि थी जो अब वर्तमान राजस्व अभिलेख में 64.18 बीघा भूमि है। इस भूमि में से कुछ भूमि नहर में अवाप्त हुई थी जिसकी राशि प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गो ने प्राप्त की है। प.नं. 166/52 में 10 बिस्वा रास्ता है। इस रास्ता की जमाबंदी अलग है। इसलिये राजस्व अभिलेख में हिस्सा गलत दर्ज है एवं खाता अपवादित है जो काबिल दुरूस्ती के है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 6 रेड़ाराम के वारीसान है। रेड़ाराम के पुत्र धन्नाराम – बुधराम थे। बुधराम का पुत्र बलराम था।

चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 72/376 (7) किला नं. 5/1, 6, 15 की 0.670 हैक., प.नं. 73/376 (6) किला नं. 1/1 ता 15 की 3.352 हैक., प.नं. 74/376 (5) किला नं. 1/1, 2/1, 9 ता 12 की 1.392 हैक., प.नं. 166/44 (8) किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 की 2.884 हैक. कमांड, 0.152 हैक. गैर मुमकिन खाला, प.नं. 166/52 (9) किला नं. 1/2 ता 25 की 6.199 हैक. कमांड, प.नं. 166/60 (10) किला नं. 1, 9 ता 12, 19, 20 की 1.771 हैक. कुल 16.420 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें वादीगण का हिस्सा सही अकिंत नही है। यह खाता अपवादित है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 8 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1.771 हैक. कमांड व वादी सं. 2 ता 5 का 1.771 हैक. कमांड मय खाला, वादी सं. 6 ता 8 का 6.199 हैक. हिस्सा है। जिसके वे खातेदार काश्तकार है। इस भूमि पर खरीद के समय से ही वादीगण का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि मुताबिक हिस्सा दर्ज नही है। जिस कारण वादीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वादीगण काफी वर्षो से खरीद के समय से ही निम्न प्रकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

(क) वादी सं.1 पृथ्वीराम की भूमि –
चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 166/60 (10) किला नं. 1, 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.771 हैक. कमांड खातेदारी।

(ख) वादी सं.2 ता 5 जगदीश वगैरा की भूमि –
चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 166/44 (8) किला नं. 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18 की कुल 1.771 हैक. कमांड मय खाला खातेदारी।

(ग) वादी सं.6 ता 8 सुल्तान वगैरा की भूमि –
चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 166/52 (9) किला नं. 1/2 ता 25 की 6.199 हैक. कमांड खातेदारी।

इसी अनुसार वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु खाता अभी सांझा है जिस कारण पक्षकारान के मध्य सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये वादीगण अपना खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि चक 13 एसपीडी–बी के प.नं. 72/376 (7) किला नं. 5/1, 6, 15 की 0.670 हैक., प.नं. 73/376 (6) किला नं. 1/1 ता 15 की 3.352 हैक., प.नं. 74/376 (5) किला नं. 1/1, 2/1, 9 ता 12 की 1.392 हैक., प.नं. 166/44 (8) किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 की 2.884 हैक. कमांड, 0.152 हैक. गैर मुमकिन खाला, प.नं. 166/52 (9) किला नं. 1/2 ता 25 की 6.199 हैक. कमांड, प.नं. 166/60 (10) किला नं. 1, 9 ता 12, 19, 20 की 1.771 हैक. कुल 16.420 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला भूमि में वादी सं. 1 का 1.771 हैक. कमांड व वादी सं. 2 ता 5 का 1.771 हैक. कमांड मय खाला, वादी सं. 6 ता 8 का 6.199 हैक. के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी सं. 1 ता 3, 6 ता 8 व प्रतिवादी सं. 1 व 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पा[illegible] मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न [illegible] तो [illegible] पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वा[illegible] पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली

24.06.2022
सहायक कलक्टर एव

का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 6 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी सं. 1 पृथ्वीराम की भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/60(10) कि0न0 1, 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.771 है0 कमाण्ड।

ख. वादी सं. 2 ता 5 जगदीश वगैरा की भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/44(8) कि0न0 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18 की कुल 1.771 है0 कमाण्ड मय खाला।

ग. वादी सं. 6 ता 8 सुल्तान वगैरा की भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/52(9) कि0न0 1/2 ता 25 की 6.199 है0 कमाण्ड व शेष रही 6.679 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5, 6 का 1/2 हिस्सा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022

(सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :– 353/2022

अनवान मुकदमा –

1. पृथ्वीराम पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रणजीत पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. विमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. चन्द्रकला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुलतान पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. भंवरलाल पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. दलीप कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रकाश पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. महावीर प्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का. अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :–

:: निर्णय ::

दिनांक – 24/6/2022

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर श्री संदीप सैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत

24.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी सं. 1 पृथ्वीराम की भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/60(10) कि0न0 1, 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.771 है0 कमाण्ड।

ख. वादी सं. 2 ता 5 जगदीश वगैरा की भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/44(8) कि0न0 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18 की कुल 1.771 है0 कमाण्ड मय खाला।

ग. वादी सं. 6 ता 8 सुल्तान वगैरा की भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसपीडी–बी के प0न0 166/52(9) कि0न0 1/2 ता 25 की 6.199 है0 कमाण्ड व शेष रही 6.679 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5, 6 का 1/2 हिस्सा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 24.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:31 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022

(रणजीत कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा